

62

IR 162/1P



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 923235

न्यास (ट्रस्ट) की घोषणा

(अनुसूचि 1, 64 का The Indian Act 1899)

स्टाम्प पत्र 4 किता कीमत अकंन 750/- रुपये

हम कि श्री खुशीलाल पुत्र बाबूनन्द निवासी वार्ड नं० 11 तीलाट, तिलत मधुबनी तिलथ विहार मुख्य ट्रस्टी व रविन्द्र राणा पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम निरपुडा तहसील बडौत जिला बागपत सेटलर व नरेन्द्र राणा पुत्र राममेहर राणा निवासी ग्राम निरपुडा तहसील बडौत जिला बागपत उपसेटलर है । यह कि मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर कई वर्षों से समाज सेवा में लीन है और आगे भी समाज सेवा में लीन रहना चाहते है । व्यवस्थापक की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करने की है जिसके लिए व्यवस्थापक ने राणा ऐजुकेशनल एण्ड सोशल ट्रस्ट दिनांक 01-10-2019 ई० को स्थापित किया है ।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अकंन 5100/- रुपये के एक मात्र स्वामी

व अधिकारी है तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका



Khushi Lal Rana

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

21

3-10-19

for

2-3 20th St 21st St 22nd St

12-25-19

for

for





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FC 420933

2

विवरण आगे दिया गया है के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापक ने उक्त राशि अंकन 5100/- रुपये को इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापक ने उक्त राशि अंकन 5100/- रुपये मुख्य ट्रस्टी को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासी उक्त राशि को आगे दी गई शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासी रखेगा और इस विलेख का निष्पादन कर रहे है अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते है और घोषणा करते है कि :-

1. यह कि उक्त राणा ऐजुकेशनल एण्ड सोशल ट्रस्ट दिनांक 01-10-2019 ई0 को स्थापित किया है ।
2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय ग्राम निरपुडा तहसील बडौत जिला बागपत होगा, परन्तु ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थान्तरित एवं स्थापित कर सकता है



Rushi Lal Sharma



2-10-19
आवेदन सं०: 201900735016827
104
न्यास पत्र
रजिस्ट्रेशन सं०: 162
वर्ष: 2019



प्रतिफल- 5100 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 120 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 160 योग : 280

श्री राणा एडवण्डसोट्टुमु खुशीलाल, *Khushi Lal*
पुत्र श्री बाबूलनन्द
व्यवसाय : अन्य
निवासी: तीलाट तिलत मधुबनी तिलक विहार आधार नं०-233466455897



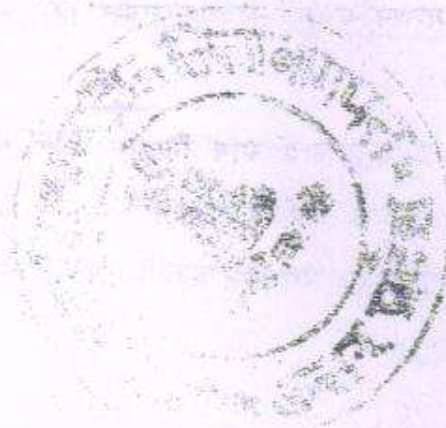
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 04/10/2019 एवं 01:53:32
PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र० उपनिबंधक, बड़ौत
उप निबंधक बड़ौत

ब्रागपत
04/10/2019

रामदेव रामदेव रामदेव
निबंधक लिपिक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

3. यह कि ट्रस्ट उक्त राशि अंकन 5100/- रुपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नगद राशि, निवेश, दान, कृष्ण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टी को समय समय पर प्राप्त हो को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टी आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे उक्त ट्रस्ट को समस्त भारत वर्ष में से तथा अन्य किसी भी देश विदेश से कहीं से भी दान प्राप्त करने का सहयोग प्राप्त करने का तथा ट्रस्ट के उचित संचालन हेतु कहीं से भी किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का पूरा अधिकार होगा तथा आवश्यकता पडने पर मानव एवं प्राणी मात्र की भलाई के लिए देश विदेश में कहीं भी ट्रस्ट की शाखा खोलने का पूरा अधिकार होगा ।



Khushi Lal Jha



नरेंद्र 10/11

3407
आवेदन सं०: 2019000350/0827
102
रजिस्ट्रेशन सं०: 162
वर्ष: 2019



निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
न्यासी: 1

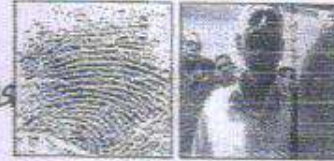
श्री राणा एडवण्डसोटुमु खुशीलाल, पुत्र श्री बाबूनन्द

निवासी: तीलाट तिलत मधुबनी तिलक विहार

आधार न०-233466455897

व्यवसाय: अन्य

K. L. Lal



न्यासी: 2

श्री राणा एड ए स० टू ड सेटलर रविन्द्र राणा, पुत्र श्री

राजकुमार

निवासी: ग्राम निरपुडा आधार न०-674312207007

व्यवसाय: अन्य

R. K.



न्यासी: 3

श्री राणा एड ए स० टू ड उपसेटलर नरेन्द्र राणा, पुत्र

श्री राममेहर राणा

निवासी: ग्राम निरपुडा आधार न०-782827655381

व्यवसाय: अन्य

N. R.



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री सतेन्द्रपाल राणा आधार न०-611082218657, पुत्र

श्री ओमसिंह

निवासी: ग्राम निरपुडा

व्यवसाय: अन्य

S. P.



पहचानकर्ता: 2

श्री राजकुमार आधार न०-610439457126, पुत्र श्री

टीकाराम

निवासी: ग्राम निरपुडा

व्यवसाय: अन्य

R. K.



ने की। प्रत्यक्षतः श्रद्धा साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

4. यह कि ट्रस्टी फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा सवधर्म के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासी को समय समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासी को समय समय पर भूमि का ग्रहण / अधिग्रहण / सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं व्यक्तियों संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

Khushi Lal Jha



6. यह कि उक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा स्थापित उद्देश्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टी ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्वीकृत रूप से प्रयोग कर सकते हैं ।

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य

1. स्कूल कालिज तकनीकी आई० टी० आई०, जे० ई० व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना । सभी प्रकार के स्कूल व ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षण प्रशिक्षण तथा बी०टी०सी०, बी०एड०, एम०एड० प्रबन्धन आदि के शिक्षा सम्बन्धी सभी कोर्स हेतु कालेजों की स्थापना करना व संचालन करना
2. शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु सभी प्रयास करना ।
3. शैक्षिक किताबों, पेपर का प्रकाशन कराना, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हास्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।
4. मैडिकल कालिज, डेंटल कालिज एवं अस्पताल व विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन करना ।
5. इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना व संचालन करना ।
6. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षण शुल्क सहायता आदि प्रदान करना, तथा सरकार से प्राप्त करके बच्चों को देना ।



7. सरकारी सहायता/गैर सरकारी सहायता/विदेशी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नौडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाईजी बनाकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाईड करवाना ।
8. अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओ एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना ।
9. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना । शहरों में पेड़ लगाना जिससे प्रदूषण कम हो । खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढे और अवैध कब्जे भी न हो पाये ।
10. निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना ।
11. स्कूल व कॉलिज में छात्रो / छात्राओं को पर्यावरण के लिए जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना ।
12. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना प्राप्त करना उन्हें कय विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना ।
13. समस्त मानव एवं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना ।



Khusi Lal Jha



Pr

22/10/11



14. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि कय करना, ट्रस्ट द्वारा कय शुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना
15. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना ।
16. ट्रस्ट का उद्देश्य योग, आध्यात्म, गौ-रक्षा एवं वैदिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना ।
17. छात्र एवं छात्राओं में नैतिक एवं चारित्रिक गुणों को विकसित करने हेतु सदैव सचेत रहना ।
18. छात्र एवं छात्राओं के उत्थान हेतु स्नातक एवं स्नात्कोत्तर के सभी विषयों में महाविद्यालय खोलना एवं संचालन करना ।
19. छात्र एवं छात्राओं के उत्थान हेतु सभी प्रकार के शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय, महाविद्यालय खोलना एवं संचालन करना
20. छात्र एवं छात्राओं के उत्थान हेतु समस्त प्रकार के मैनेजमेन्ट कोर्स के महाविद्यालय खोलना एवं संचालन करना ।
21. छात्र एवं छात्राओं को उपयोगी नागरिक बनाने हेतु गृहस्थ जीवन, उपयोगी कला कौशल, आयुर्वेदिक विज्ञान, शिशुपालन पाक शास्त्र, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रंगाई, हथकरघा आदि की शिक्षा का प्रबन्ध करना ।
22. गणित विज्ञान व दर्शनादि की शिक्षा के साथ-साथ अंग्रेजी संस्कृत राष्ट्र भाषा हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा का प्रबन्ध करना ।
23. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निरक्षरता को दूर करने हेतु विद्यालय खोलना एवं संचालन करना । व खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना व संचालन करना तथा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराना ।



24. समाज में शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्तर से उच्चतम स्तर तक के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना तथा उसका संचालन करना ।

25. समाज के पिछड़े हुए और उपेक्षित वर्ग के लोगो के शैक्षणिक सामाजिक विकास हेतु प्रयत्न करना । छात्रावासों, वृद्धाश्रम, नारी निकेतन व बालसदन विद्यालयों स्कूलों एवं खेलकूद शिक्षण संस्थानों की स्थापना संवर्धन एवं प्रोत्साहन प्रदान करना ।

26. वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो ।

27. गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न जगहों पर शिविर लगाना, दवाईयों का वितरण करना, रोगो की जाँच करना, एवं उचित इलाज हेतु चिकित्सक उपलब्ध कराना ।

कार्यक्षेत्र

7. यह कि न्यास/ ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सभी जिलों एवं राज्यों तथा समस्त भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पडने पर ट्रस्ट की शाखाएँ विदेशों में भी खोली जा सकेगी ।

ट्रस्टी के अधिकार, कर्तव्य एवं नियुक्ति -

8. यह कि मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासी चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा ।



Khushi Saluja



Dr.



72-51101



9. यह कि मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टी उचित समझे उपरोक्त ट्रस्ट के कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं

10. यह कि केवल मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर का एक समान अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा तथा मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर की मृत्यु के बाद उसकी सन्तानों को अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा । मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके । ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ही ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायें किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। वसीयत करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि ट्रस्ट उपरोक्त पूर्णतया पारिवारिक ट्रस्ट है । मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर की मृत्यु के बाद वंशानुक्रम के आधार पर उपरोक्त ट्रस्ट व ट्रस्ट की सभी सम्पत्ति कार्य, उद्देश्य, अधिकार मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर के स्थान पर स्वतः चले जायेंगे ।

11. यह कि प्रत्येक न्यासी/ ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नाम नामांकन कराया जायेगा जो कि उक्त न्यासी/ ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ ट्रस्टी होगा तथा नव नियुक्त ट्रस्टीयों को एतद द्वारा नियुक्त ट्रस्टीयों के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा ।



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



12. यह कि मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर को ट्रस्ट को सुचारु रूप से संचालन करने हेतु ट्रस्ट में मुख्य ट्रस्टी व सेटलर की सहमति से आवश्यकतानुसार ट्रस्ट में सदस्य नियुक्त कर सकते हैं या पूर्व में नियुक्त सदस्यों को हटा सकते हैं इसमें नियुक्त ट्रस्ट के साधारण सदस्यों को कोई आपत्ति करने का अधिकार

नहीं होगा। उपरोक्त नियुक्त सदस्यों को आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव आदि के पद पर नियुक्त कर सकते हैं जब चाहे हटा सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ट्रस्ट के समस्त फण्ड बैंक अकाउण्ट पर मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर तीनों संयुक्त रूप से रहेंगे

यह कि नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे

मुख्य ट्रस्टी - ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारु रूप से संचालन करने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिवक्ता या पैरोकार को नियुक्त करना।

मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में मुख्य ट्रस्टी के कार्य करने का अधिकार सेटलर व उपसेटलर को होगा और सेटलर व उपसेटलर द्वारा किये गये कार्य मान्य होंगे जिनका अनुमोदन मुख्य ट्रस्टी से करा लिया जायेगा।

सेटलर व उपसेटलर - ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना, ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारु रूप से संचालित करना सभी बैठकों को समयानुसार व मुख्य ट्रस्टी के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी



Khushi Lal Ka



बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख कर मुख्य ट्रस्टी से सत्यापित कराना अगली बैठक बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना ।

15. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे—न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन—देन निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर करेंगे । किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिए आपातकालीन बैठक मुख्य ट्रस्टी द्वारा आहूत की जायेगी ।

16. यह कि मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर समय—समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्धक

समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे से प्रदान करने की शक्ति होगी ।



18. यह कि मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा । यह कि ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर को होगा । नये ट्रस्टी सदस्यों को नियुक्त एवं निष्कासन के लिए मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर से होगा ।

19. यह कि भविष्य में ट्रस्ट के द्वारा संचालित किसी भी शैक्षिक सामाजिक व धार्मिक संस्था के सूचारु रूप से संचालन हेतु प्रबन्ध समिति नियुक्त करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर की सहमति से होगा । भविष्य में ट्रस्ट के बैंक अकाउण्ट में रूपयों का लेन देन मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर तीनों के हस्ताक्षर व सहमति से होगा एवं ट्रस्ट की किसी भी सम्पत्ति को कय करना विक्रय करना दान देना दान लेना मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर की सहमति से ही होगा ।

19. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय में सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा ।



K. L. L. L.



20. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का एक बटा तीन होगा । यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टिंगों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा । स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती । ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में मुख्य ट्रस्टी की सहमति लेनी अनिवार्य होगी ।

21. यह कि उक्त मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकार होंगे ।

22. यह कि मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाबता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेख व आर्थिक चिटठा बनायेंगे जो कि मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उसका आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा ।

23. यह कि मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा



Khushi Lal Ha



70511011



70511011



24. यह कि मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे

पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने तथा विक्रय करने, किराये पर देने हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा ।

29. यह कि मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर व्यक्तिगत/वित्तीय संस्थाओं/फर्म बैंक आदि के उधार/ऋण आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा । मुख्य ट्रस्टी व सेटलर को ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए उधार/ऋण /बैंक गारण्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा । इन सभी कार्यों को करने का अधिकार केवल मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर को होगा ।

30. यह कि मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयरों ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा ।



Khushi Lal



Pr



रमेश

31. यह कि एतद द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश से मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/ परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं तथा इसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी उसे केवल मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर द्वारा वहन किया जायेगा ।

ट्रस्ट द्वारा विद्यालय चलाने की दशा में सामान्य नियम

1. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
2. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के मेधावी बच्चों के लिए संरक्षित होंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से आवश्यकता पड़ने पर अनुदान की मांग की जा सकती है । यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड नई दिल्ली/ काउन्सिल फॉर दी इण्डियन स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नई दिल्ली से प्राप्त होगी तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।



Rashmi Lal



R



7-2-2011

4. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण शिक्षोत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

5. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

6. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

7. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र / पत्रिकाओं में रखा जायेगा

8. यू0पी0 एजुकेशन कोड की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी ।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप मुख्य ट्रस्टी व सेटलर व उपसेटलर ने अपने हस्ताक्षर किये हैं ।



Rishi Lal Jha



Poo



१२-५-२०११



लिखित दिनांक 03.10.2019 ई0 मसौदा व फोटो सत्यापन भूप्रकाश श्यौराण
एडवोकेट बडौत ।

साक्षी-सतेन्द्रपाल राणा पुत्र ओमसिंह
निवासी ग्राम निरपुडा तहसील बडौत

सतेन्द्र



साक्षी-राजकुमार पुत्र टीकाराम
निवासी ग्राम निरपुडा तहसील बडौत

राजकुमार



Khuski Lal Jha

पुन



गोपनीय



आवेदन सं०: 201900735016327

वही संख्या 4 जिल्द संख्या 91 के पृष्ठ 1 से 70 तक क्रमांक
162 पर दिनांक 04/10/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्रभु उपनिबंधक, बडौत

उप निबंधक, बडौत

बागपत

04/10/2019

